

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, चित्तौड़गढ़
दूरभाष / 01472-251870 (Email:- me.chittorgarh@rajasthan.gov.in)

क्रमांक / खअ / चित्तौड़ / सीसी-1 / विविध / ६६
प्रेषित :-

दिनांक 31.01.2022

श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
राजस्थान उदयपुर।



विषय :- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के परिवाद सं. 16/22/1025 द्वारा श्री राणासैन गुप्ता।

प्रसंग :- श्रीमान् का पत्र क्रमांक 1049-52 दिनांक 27.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

- 1 कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्थित खानों का पंजीयन/खान सुरक्षा निदेशालय में दर्ज कराने बाबत खानों की सूची विवरण निदेशालय खान सुरक्षा उदयपुर कार्यालय को अलग से प्रेषित की जा रही है। प्रेषित सूची में अंकित पट्टाधारियों को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर की आदेशिका में खान मालिको द्वारा कामगारो का प्रभावी तरीके से रिकोर्ड रखने की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्तर से नोटिस जारी किये जा रहे हैं।
- 2 कार्यालय क्षेत्राधिकार में समस्त खनन पट्टाधारियों को मानवाधिकार आयोग जयपुर की आदेशिका की पालना में नोटिस जारी किये जा रहे हैं। नोटिस की पालना नहीं करने पर नियमानुसार वैधानिक नोटिस जारी कर की गयी कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया दिया जायेगा।
- 3 कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्थित क्वारी लाइसेंस का पंजीयन/खान सुरक्षा निदेशालय में दर्ज कराने बाबत क्वारी लाइसेंस की सूची विवरण निदेशालय खान सुरक्षा उदयपुर कार्यालय को अलग से प्रेषित की जा रही है। प्रेषित सूची में अंकित क्वारीधारको को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर की आदेशिका में क्वारीधारको द्वारा कामगारो का प्रभावी तरीके से रिकोर्ड रखने की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्तर से नोटिस जारी किये जा रहे हैं। नोटिस की पालना नहीं करने पर नियमानुसार वैधानिक नोटिस जारी कर की गयी कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया दिया जायेगा।

भवदीय
Wived
(विनीत महलोत)
31/1/22
खनि अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट एवं
कार्यालय खनि अभियन्ता चित्तौडगढ़ (राज.)

दूरभाष / Phone 01472-251870 Fax 01472-251870 (Email:- me.chittorgarh@rajasthan.gov.in)



बैठक कार्यवाही विवरण

- 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौडगढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 03/02/2017 को प्रातः 11 बजे गवर्निंग काउन्सिल के उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.स.	नाम	पद
01	श्री अर्जुन लाल जीनगर	माननीय विधायक कपासन
02	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	माननीय विधायक चित्तौडगढ़
03	श्री गौतम दक	माननीय विधायक बडीसादडी
04	श्री नथमल डिन्डेल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ़।
05	श्री सुरेश चन्द्र	अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़
06	श्री सतीश आर्य	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़ (सदस्य सचिव)
07	श्री समीउल्ला खां	सहायक वन संरक्षक चित्तौडगढ़।
08	डा. इन्द्रजीत सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़।
09	श्री रतन लाल मीणा	अधिकाधिकारी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ़।
10	श्री सन्दीप चारण	कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़
11	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौडगढ़
12	श्री नवीन व्यास	क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया, चित्तौडगढ़।
13	श्री लखन लाल गुप्ता	अधिकाधिकारी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौडगढ़।
14	श्री प्रदीप शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौडगढ़
15	श्रीमति जसोदा बसेर	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) चित्तौडगढ़
16	श्री अमीत शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौडगढ़।
17	श्री सत्यनारायण शर्मा	परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
18	श्री रतन लाल	सहायक परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।
19	श्री रामरख मेघवाल	सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा।
20	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक खनि अभियन्ता चित्तौडगढ़।
21	श्री रतन लाल कुमावत	सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौडगढ़।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौडगढ़



सूचना का अधिकार

2. सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौडगढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में सदस्य सचिव ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम 2016 का पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन (प्रस्तुतीकरण) कर ट्रस्ट के गठन, ट्रस्ट फण्ड के रूप में प्राप्त हुई अंशदान राशि एवं फण्ड से किये जा सकने वाले कार्यों के संबंध में नियमों की विस्तृत जानकारी दी। चित्तौडगढ़ जिले में अंशदान राशि के रूप में माह जनवरी-2017 तक राशि रु. 35.32 करोड प्राप्त हुई है।
3. बैठक में उपस्थित गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य एवं माननीय विधायक कपासन श्री अर्जुन लाल जीनगर ने डी.एम.एफ.टी. फण्ड की अंशदान राशि से प्रथम चरण में खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं विकास के कार्यों में खर्च करने का सुझाव दिया। साथ ही विभागवार वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उसकी क्रियान्विति करने का सुझाव दिया।
4. माननीय विधायक चित्तौडगढ़ श्री चन्द्रभान सिंह आक्या ने सुझाव दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मानपुरा व चिकसी पंचायत में खनिज व सीमेन्ट आदि के परिवहन से सडक मार्गों की स्थिति बहुत खराब है इसलिए सर्व प्रथम सडक मार्गों को सही करने अथवा मरम्मत करने का सुझाव दिया। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों से 10 किमी. की परिधी में आने वाले स्कूल एवं अस्पतालों में आधारभूत कार्यों के विकास प्राथमिकता से करने का सुझाव दिया। मा. विधायक ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायत/ग्राम पंचायतवार प्राप्त अंशदान राशि का विवरण तैयार कर उसी के अनुपात में संबन्धित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों में विकास कार्य किये जावे।
5. माननीय विधायक बडीसादडी श्री गोतम दक ने खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं उसके आस-पास के स्कूलों में कमरों की कमी को इस फण्ड से पूरा करने का सुझाव दिया।
6. सदस्य सचिव, खनि अभियन्ता चित्तौडगढ़ ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को यह अवगत कराया कि शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर एवं शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र दिनांक 06/12/2016 एवं 03/01/2017 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार डी.एम.एफ.टी फण्ड से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु समुचित राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये।
7. जिला कलेक्टर महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों से भी इस फण्ड से किये जा सकने वाले कार्यों के सुझाव मांगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ़ ने आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षा एवं शौचालयों के निर्माण तथा बालिका स्वास्थ्य पर प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अलावा खनन क्षेत्रों में अच्छी गुणवता की सडको के निर्माण करने का सुझाव दिया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौडगढ़

- 8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक मोबाईल वेन जिसमें डिजिटल एक्सरे मशीन एवं जांच के उपकरण उपलब्ध हो की आवश्यकता बताई तथा सेन्ड स्टोन खनिज क्षेत्रों में स्थित पी.एच.सी. रायता में तथा लाईमस्टोन खनिज क्षेत्र में स्थित सीएचसी बिनोता तथा क्वार्टज खनिज क्षेत्र में स्थित सीएचसी कपासन में एक डिजिटल एक्सरे मशीन की आवश्यकता बताई।
- 9 सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़ ने जिले में संचालित छात्रावासों में वाटर कूलर एवं गीजर लगाने का सुझाव दिया।
- 10 जिला कलेक्टर महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों पर यह निर्देश दिये कि इस फण्ड राशि से खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों/पंचायतों में प्रथम चरण में ऐसे कार्य किये जावे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके तथा ऐसी आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी जिसका बेहतर तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें। जिला कलेक्टर महोदय ने जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की प्राथमिकता पर बल दिया।
- 11 जिला कलेक्टर महोदय ने बैठक में प्राप्त सभी सुझावों के अनुरूप उपस्थित सभी सदस्यों/अधिकारियों को प्रस्ताव/कार्य योजना तैयार कर सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे उन सभी प्रस्तावों पर मैनेजिंग कमेटी की आगामी बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय हेतु गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में रखा जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



सदस्य सचिव
डी.एम.एफ.टी.
(खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़)

क्रमांक DMFT/Governing Council/2017/

Dt. /02/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान् जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट चित्तौड़गढ़।
- 2 श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री श्रीचन्द्र कृपलानी माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर। (मा. विधायक विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा)
- 4 श्री अर्जुन लाल जीनगर, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कपासन।
- 5 श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री गोतम दक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी।
- 7 श्री सुरेश चन्द्र धाकड़, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बेंगू।
- 8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
- 9 अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़।
- 10 उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
- 11 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
- 12 अधिशाषी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

सूचना
का
अधिकार

- 13 जिला कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़।
14 सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
15 क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया।
16 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
17 अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
18 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) चित्तौड़गढ़।
19 प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़।
20 परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चित्तौड़गढ़।
21 जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान चित्तौड़गढ़।
22 सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा/चित्तौड़गढ़।




14/2/17
सदस्य सचिव
डी.एम.एफ.टी.
(खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़)
१८

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।


जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट एवं कार्यालय खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष / Phone 01472-251870 Fax 01472-251870 (Email:- me.chittorgarh@rajasthan.gov.in)



सूचना
का
अधिकार

बैठक कार्यवाही विवरण

- 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 26/05/2017 को अपराह्न 02 बजे जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.स.	नाम	पद
1	श्री इन्द्रजीत सिंह	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
2	श्री अर्जुन लाल जीनगर	माननीय विधायक कपासन
3	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	माननीय विधायक चित्तौड़गढ़
4	श्री सुरेश धाकड़	माननीय विधायक बेगू
5	श्री गौतम दक	माननीय विधायक बडीसादडी
6	श्री ज्ञानमल खटीक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
7	श्री अनुराग भार्गव	अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
8	श्री सतीश आर्य	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ (सदस्य सचिव)
9	श्री मुकेश सैनी	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़।
10	डा. हरीश उपाध्याय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
11	श्री रतन लाल मीणा	अधीशाषी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।
12	श्री सन्दीप चारण	कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़
13	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़
14	श्री नवीन व्यास	क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया, चित्तौड़गढ़।
15	श्री लखन लाल गुप्ता	अधीशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
16	श्री राधेश्याम शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़
17	श्री जगदीश चन्द्र पालीवाल	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) चित्तौड़गढ़
18	श्री अमीत शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर, उधमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़।
19	श्री सत्यनारायण शर्मा	परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
20	श्री राजेन्द्र शर्मा	सहायक परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।
21	श्री रतन लाल	सहायक परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।
22	श्री रामरख मेघवाल	सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा।
23	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़।
24	श्री सौमेश मेहरा	अधीशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
25	श्री राजेन्द्र सिंघल	उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जारी प्रति।

श्री सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

2. सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में सदस्य सचिव ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम 2016 का पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन (प्रस्तुतीकरण) कर ट्रस्ट के गठन, ट्रस्ट फण्ड के रूप में प्राप्त हुई अंशदान राशि एवं फण्ड से किये जा सकने वाले कार्यों के संबंध में नियमों की विस्तृत जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिले में अंशदान राशि के रूप में माह मार्च-2017 तक राशि रु. 48.73 करोड़ प्राप्त हुई है।
3. सदस्य सचिव खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि डी.एम.एफ.टी. की अंशदान राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग पीने का पानी, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं एवं बच्चों का विकास, वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का विकास, उद्यमिता विकास एवं स्वच्छता पर किया जा सकता है एवं अधिकतम 40 प्रतिशत राशि का उपयोग आधारभूत संरचना सिंचाई, उर्जा, वाटर शेड एवं जिले में पर्यावरण सुधार के अन्य कार्य पर किया जा सकता है।
4. खनि अभियन्ता ने यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श व उत्कर्ष विद्यालयों में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में आदर्श पीएचसी, सीएचसी में फण्ड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।
5. खनि अभियन्ता ने सदन को यह भी अवगत कराया कि डी.एम.एफ.टी. की अंशदान राशि जो अभी तक एक केन्द्रीयकृत खाते में जमा हो रही थी उसे राज्य सरकार द्वारा बदल कर प्रत्येक जिले में एक जन निक्षेप खाता (पी.डी. अकाउन्ट) खोलकर उसमें जमा कराने के निर्देश दिये हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में जन निक्षेप खाता (पी.डी. अकाउन्ट) सं. 6231 खोल कर उसमें डी.एम.एफ.टी. अंशदान की राशि जमा करना प्रारम्भ कर दिया गया है।
6. बैठक में विभागवार प्राप्त प्रस्तावों के बारे में सदस्य सचिव द्वारा जानकारी दी गई तथा उन प्रस्तावों पर विभागवार विस्तृत चर्चा की गई।
7. मा. विधायक, चित्तौड़गढ़ श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं मा. विधायक बेंगू श्री सुरेश धाकड़ द्वारा यह सुझाव दिया कि रमसा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बनाये जाने वाले कक्षा कक्षों की निर्माण लागत अलग-अलग है। रमसा एवं सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने बताया कि कक्षा कक्षों की माप अलग-अलग होने से निर्माण लागत अलग-अलग है। इस पर विस्तृत चर्चा कर यह निर्देश दिये गये कि रमसा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बनाये जाने वाले कक्षा कक्षों की माप एक समान कर निर्माण लागत को भी एक समान किया जावे जिस पर रमसा एवं सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।
8. मा. विधायक, चित्तौड़गढ़ ने एक करोड़ से कम लागत के ही छोटे-छोटे कार्य करने का सुझाव दिया जिससे उन कार्यों की स्वीकृति जिला स्तर से ही जारी हो सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संबंधित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में से सभी जन प्रतिनिधिगण डी.एम.एफ.टी. नियमों की प्राथमिकता के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यों का विवरण इसी बैठक में अनुमोदन कर उन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।



सूचना
का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी

(खनि अभियन्ता)

चित्तौड़गढ़

9 मा. विधायक बेंगू ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य निर्माण कार्य कराने वाले विभागों के उपस्थिति अधिकारियों से यह जानकारी मांगी गई कि यदि किसी निर्माण कार्य का टेन्डर बीएसआर से कम आता है तो बची हुई राशि का उपयोग किस प्रकार किया जावेगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि बची हुई राशि सम्बन्धित विभाग या ट्रस्ट को सरेन्डर कर दी जाती है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि संबंधित विभाग को टेन्डर की राशि के अनुसार ही राशि ट्रान्सफर की जावे।

10 मा. विधायक कपासन एवं मा. विधायक बड़ीसादडी ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुसार शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संबंधित विभागों के प्राप्त प्रस्तावों में से अथवा संबंधित जन प्रतिनिधियों के सुझाव अनुसार प्राथमिकता तय कर उन कार्यों का विवरण तैयार कर नियमानुसार अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

11 जिला कलक्टर महोदय ने बैठक में यह निर्देश दिये कि मेनेजिंग कमेटी का कार्य सभी विभागों से प्रस्ताव लेकर संबंधित विधायकों की सहमति एवं सुझाव के अनुरूप प्राथमिकता तय कर PMKKKY की योजना के अनुरूप कार्य किये जावे। इस फण्ड से वही कार्य किये जाने उचित होंगे जो सीधे ही संबंधित विभाग द्वारा बिना किसी अन्य विभाग के सहयोग के सम्पादित किया जा सके। जिला कलक्टर महोदय ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्राथमिकता तय कर अधिक से अधिक कार्य करने के निर्देश दिये साथ ही सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जिन विभागों के प्रस्ताव अच्छे एवं नियमों के अनुरूप होंगे तथा जिनका कार्य संपादन गुणवत्ता पूर्ण होगा उन्हीं विभागों को बजट दिया जावेगा। इसलिए सभी विभागों को ऐसे प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये जो डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुरूप हों तथा उससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।

जिला कलक्टर महोदय ने निर्देश दिये कि जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर औचित्य पूर्ण तरीके से पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट तैयार की जावे जिसमें कार्य की अनुमानित लागत के साथ-साथ कार्य की अवधि एवं उसका तकनीकी तखमिना का भी उल्लेख किया जावे।

12 जिला प्रमुख महोदय ने भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव
डी.एम.एफ.टी.
(खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़



**कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट एवं
कार्यालय खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ (राज.)**

दूरभाष / Phone 01472-251870 Email:- me.chittorgarh@rajasthan.gov.in



बैठक कार्यवाही विवरण

- 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 08/09/2017 को दोपहर 2.00 बजे जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.स.	नाम	पद
1	श्री श्रीचन्द कृपलानी	माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन,स्वायत शासन विभाग,राजस्थान,जयपुर (माननीय विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेडा)
2	श्री इन्द्रजीत सिंह	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
3	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	माननीय विधायक चित्तौड़गढ़
4	श्री सुरेश धाकड़	माननीय विधायक बेगू
5	श्री गौतम दक	माननीय विधायक बडीसादडी
6	श्री नारायण सिंह चारण	अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
7	श्री दिनेश कोठारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़
8	श्री सतीश आर्य	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ (सदस्य सचिव)
9	श्री एस.पी. सिंह	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़
10	श्री रतन लाल मीणा	अधिशायी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।
11	डा. इन्द्रजीत सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
12	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़
13	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़।
14	श्री रामरख मेघवाल	सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा।
15	श्री लखन लाल गुप्ता	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
16	श्री सुनील गुप्ता	अधिशायी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, निम्बाहेडा
17	श्री सौमेश मेहरा	अधिशायी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
18	श्री प्रवीण जैन	प्रोग्रामर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चित्तौड़गढ़
19	श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़
20	श्री सत्यनारायण शर्मा	परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
21	श्री भगवती लाल स्वर्णकार	अति. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़
22	श्री टी.आर प्रजापत	कनिष्ठ अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान
23	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक परियोजना समन्वयक-सर्व शिक्षा अभियान।
24	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान।
25	श्री आलोक सिंह	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)
26	श्री बट्टी लाल जाट	सहायक अभियन्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
27	श्री अमित शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़।
28	श्री बलजीत मीणा	प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया, चित्तौड़गढ़।
29	श्री सुरेश कुमार बड़ाला	अधिशायी अभियन्ता, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

(Handwritten signature)


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
 (खनि अभियन्ता)
 चित्तौड़गढ़

- 2 सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौडगढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने संक्षिप्त में पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियम, प्राप्त अंशदान राशि तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पूर्व में आयोजित गवर्निंग काउन्सिल एवं मैनेजिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी तथा अब तक हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया।
- 3 मनेजिंग कमेटी की गत बैठक दिनांक 14.07.2017 में लिये गये निर्णयों पर चर्चा उपरान्त गवर्निंग काउन्सिल द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :-
- सभी सम्बन्धित विभाग ऐसे गेप/क्षेत्र चिन्हित करे जो डी.एम.एफ.टी. नियमों के अन्तर्गत आते हो तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।
 - सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य निर्माण विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में प्रो-राटा चार्ज व क्यू.सी. चार्ज सम्मिलित किया गया है जिसकी छूट हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।
 - डी.एम.एफ.टी की अंशदान राशि से किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किये जावे जिनकी स्वीकृति जिला स्तर से ही जारी हो सके।
 - सीसी रोड के प्रस्तावित कार्यों की मिनी गौरव पथ के रूप में कार्य योजना बनाई जावे।
 - डी.एम.एफ.टी. सेल की स्थापना करना।
- 4 खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि डी.एम.एफ.टी. नियम 2016 के नियम 15 (2) के अनुसार खनन प्रभावित (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) क्षेत्रों की सूची तैयार की जानी है। प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों की सूची में उन ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है जिन ग्राम पंचायतों में खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस स्वीकृत है। इस प्रकार की जिले में कुल 100 ग्राम पंचायतें हैं।

खनन प्रभावित (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) क्षेत्रों की सूची में उन ग्रामों/क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान है जहां पर खनन गतिविधियों के कारण परिवार विस्थापित हुए हैं, ऐसे गांव जो प्रमुख रूप से खनन पर आधारित हैं अथवा उनकी रोजी रोटी खनन गतिविधियों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जो खनन संबंधी गतिविधियों के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से प्रभावित हो, ऐसे क्षेत्र जहां खनन गतिविधियों के कारण पानी, मिट्टी एवं हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई हो, भू-जल प्रभावित हुआ हो, पानी के प्राकृतिक बहाव में कोई कमी हुई हो तथा खनन गतिविधियों, खनिज परिवहन एवं ओवर बर्डन डम्पिंग के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा हो, उन्हें भी खनन प्रभावित क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया जाना है।

इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श के दौरान सभी जन प्रतिनिधियों ने बताया कि चित्तौडगढ़ जिले में 10 सीमेन्ट प्लांट है तथा काफी मात्रा में खनन पट्टे व क्वारी लाइसेंस स्वीकृत है। चित्तौडगढ़ जिला एक खनिज प्रधान जिला है जिसमें खनिज लाईमस्टोन का



काफी मात्रा में उत्पादन परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य खनिजों का भी उत्पादन एवं परिवहन होता है जिसका आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले पर पड़ता है। बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले को खनन प्रभावित क्षेत्र मानने का गवर्निंग काउन्सिल द्वारा अनुमोदन किया गया।

- 5 खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ ने डी.एम.एफ. अंशदान राशि से किये जाने वाले कार्यों के विभागवार/ विधानसभावार प्राप्त प्रस्तावों के बारे में अवगत कराया कि गत बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जन प्रतिनिधियों से प्राप्त कार्यों की सूची को सभी सम्बन्धित विभागों को भेजकर डी.एम.एफ. नियमों के अनुरूप औचित्य पूर्ण प्रस्ताव मंगवाये गये। अभी तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला परिषद एवं वन विभाग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खनि अभियन्ता ने उक्त सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत किया।
- 6 माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बैठक में सभी विधायक गण उपस्थित हैं, अतः उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये कार्य, जो किए जा सकते हैं अथवा नहीं किए जा सकते हैं, उनका विवरण सभी विधायकों के ध्यान में लावे, जिससे उनके द्वारा अतिरिक्त प्रस्ताव भेजे जा सकें। इस पर सभी विधायकों ने सहमति जताते हुए कहा कि जो कार्य नहीं कराए जा सकते हैं, उनका विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जावे। इस पर सदस्य सचिव ने प्राप्त प्रस्तावों में से नियम 15 (3) के तहत आने वाले कार्यों का एक चार्ट पॉवर प्वाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा साथ ही स्पष्ट किया कि अभी तक प्राप्त प्रस्तावों में से नियम 15(3) के तहत किये जा सकने वाले अनुमोदित कार्यों की सूची सभी जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जावेगी।
- 7 मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि जो कार्य मनरेगा अथवा राज्य एवं केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत कराए जा सकते हैं, उन कार्यों को डी.एम.एफ.टी. के प्रस्तावों में शामिल नहीं किया जावे। उदाहरणार्थ मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में खेल के मैदानों की बाउण्ड्री-वॉल मनरेगा के तहत करावाई जा रही है, लिहाजा उन कार्यों को डी.एम.एफ.टी. के तहत नहीं करावाया जावे। इस पर जिला कलक्टर महोदय ने सहमति जताई परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव बनकर अंतिम चरण पर है, उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से असंतुलन उत्पन्न होगा।
- 8 माननीय विधायक, बेगूं ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उच्च जलाशय बनाया जाना आवश्यक है, किन्तु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नियमों का हवाला देते हुए उच्च जलाशय बनाने में असमर्थता जताई गई है। इसलिए उक्त कार्य डी.एम.एफ. टी. फण्ड से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जावे।

इस पर जिला कलक्टर महोदय ने उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने पर तकनीकी समस्या बताते हुए कहा कि एक प्रकृति के कार्य को दो विभागों द्वारा किया जावेगा तो, ना तो उस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग हो पाएगी और ना ही किसी विभाग का उत्तदायित्व तय किया जा सकेगा।

17/10 16/22/10
इस पर मंत्री महोदय ने निर्देशित किया की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव समस्त विधायक गण से ले लेंवे तथा उक्त कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही किया जावे तथा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा एक शपथ पत्र भी भरा जाएगा, जिसमें केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराए जा सकने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

सूचना
का
अधिकार

- 9 उप-वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि प्राप्त प्रस्तावों में वन विभाग से संबंधित कार्य नगण्य है। इस पर माननीय विधायक महोदय, चित्तौड़गढ़ ने एक बड़ा पार्क मोर मगरी, चित्तौड़गढ़ के पास बनाए जाने का सुझाव दिया, जिसमें न केवल पौधारोपण होगा अपितु इस पर्यटन/भ्रमण स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिस पर जिला कलक्टर महोदय ने सहमति जताते हुए कहा की वास्तव में यह पार्क शहरवासियों के लिए एक उत्कृष्ट पर्यटन/भ्रमण स्थल के रूप में साबित होगा। इससे संबंधित जो कार्य नियम 15 (3) के अंतर्गत कराए जा सकते हैं, निश्चित रूप से कराए जायेंगे।
- 10 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय ने बताया कि संबंधित विभाग को डी.एम.एफ.टी. फण्ड से कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों को भिजवाने हेतु बार-बार कहना पड़ रहा है लेकिन अभी भी कई विभागों के औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जिला कलक्टर महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्बन्धित विभाग के कार्यालयध्यक्ष संबंधित जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव तैयार कर भिजावें।
11. मंत्री महोदय ने डी.एम.एफ.टी. फण्ड से कौशल विकास केन्द्र खोले जाने हेतु सुझाव दिया, ताकि जिले के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर, उधमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ से इस संबंध में कौशल विकास हेतु संभावनाएं तलाशने हेतु निर्देशित किया। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि दिए जाने वाले प्रशिक्षण को समस्त विधायक गण को बुलाकर प्रदर्शित करें।
- 12 खनि अभियन्ता ने अभी तक प्राप्त प्रस्तावों में से डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुरूप एवं गवर्निंग काउन्सिल की गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार तथा सम्पूर्ण जिला चित्तौड़गढ़ को खनन प्रभावित मानते हुए अनुमोदित किये जाने योग्य प्रस्तावों की सूची/विवरण विभागवार व विधानसभावार प्रस्तुत की। प्रस्तुत सूची/विवरण के अनुसार नियम 15(3) (i) (A) अर्थात् उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में 2306.99 लाख एवं नियम 15(3) (i) (B) अर्थात् अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 1312.90 लाख कुल राशि रु. 3619.89 लाख के कार्य अनुमोदन किये जाने योग्य है जिनकी विभागवार/विधानसभावार सूची संलग्न है। गवर्निंग काउन्सिल ने उक्त सभी कार्यों को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया।
- 13 जिला कलक्टर महोदय ने गवर्निंग काउन्सिल द्वारा अनुमोदित किये गये कार्यों पर तत्काल नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु खनि अभियन्ता एवं सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश प्रदान किये गये।

4

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

- 14 मा. मंत्री महोदय एवं जिला कलक्टर महोदय ने निर्देश दिये कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की राशि भी प्राप्त हो रही है जो कि पूरे वित्तीय वर्ष की लगभग 50 करोड होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की राशि से भी कार्य किये जाने प्रस्तावित है इसलिए फण्ड की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुरूप किये जा सकने वाले कार्यों के प्रस्ताव भी तैयार कर शीघ्र ही उपलब्ध कराने हेतु सभी जन प्रतिनिधियों/विभागो को कहा गया।
- 15 खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि नियम 15(6) के अनुसार डी.एम.एफ.टी मैनेजिंग कमेटी व गवर्निंग काउन्सिल की बैठको का विवरण अनुमोदन किये गये कार्यों का विवरण एक वेबसाईट का निर्माण कर उस पर उपलब्ध कराया जाना है। इस पर चर्चा उपरान्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले की वेब साईट पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट चित्तौडगढ़ का एक पेज डवलप कर उस पर उक्त सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जावे।



सूचना का अधिकार

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Sd
 सदस्य सचिव
 डी.एम.एफ.टी.
 (खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी प्रति।

By
 जन सूचना अधिकार
 (खनि अभियन्ता)
 चित्तौडगढ़

क्रमांक DMFT/Governing Council/2017/329-350 Dt. 27/9/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान् जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट चित्तौड़गढ़।
- 2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री श्रीचन्द कृपलानी मान्नीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर। (मा. विधायक विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा)
- 4 श्री अर्जुन लाल जीनगर, मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कपासन।
- 5 श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री गोतम दक, मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी।
- 7 श्री सुरेश चन्द्र धाकड़, मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बेंगू।
- 8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
- 9 अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़।
- 10 उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
- 11 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
- 12 अधिशाषी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।
- 13 जिला कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़।
- 14 सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
- 15 क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
- 17 अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
- 18 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) चित्तौड़गढ़।
- 19 प्रोजेक्ट मेनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़।
- 20 परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चित्तौड़गढ़।
- 21 जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान चित्तौड़गढ़।
- 22 सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा/चित्तौड़गढ़।



सदस्य सचिव
डी.एम.एफ.टी.
(खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट चित्तौड़गढ़

दूरभाष / Phone 01472-251870 Email:- me.chittorgarh@rajasthan.gov.in



सूचना
का
अधिकार

बैठक कार्यवाही विवरण

- 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 19.01.2018 को प्रातः 11.00 बजे जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.स.	नाम	पद
1	श्री चन्द्रमान सिंह आक्या	माननीय विधायक चित्तौड़गढ़
2	श्री सुरेश धाकड़	माननीय विधायक बेगू
3	श्री अर्जुन लाल जीनगर	माननीय विधायक कपासन
4	श्री नारायण सिंह चारण	अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़
5	श्री रामदेव गोयल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़
6	श्री दिपेन्द्र सिंह राठोड़	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी डीएमएफटी सेल चित्तौड़गढ़।
7	श्री एस.पी. सिंह	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़
8	श्री सन्दीप चारण	कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
9	श्री रतन लाल मीणा	अधिशोषी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।
10	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़
11	श्री नवीन व्यास	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, चित्तौड़गढ़।
12	श्री सतीश आर्य	खनि अभियन्ता, एवं सदस्य सचिव (डीएमएफटी) चित्तौड़गढ़।
13	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़।
14	श्री रामरख मेघवाल	सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा।
15	श्री लखन लाल गुप्ता	अधिशोषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
16	श्री ए.आर. खान	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
17	श्री सुनील गुप्ता	अधिशोषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, निम्बाहेडा
18	श्री सोमेश मेहरा	अधीशोषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
19	श्री राकेश गुप्ता	अधिशोषी अभियन्ता (नरेगा) जिला परिषद, चित्तौड़गढ़
20	श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़
21	श्री बद्री लाल जाट	सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़।
22	श्री गणेश लाल वैष्णव	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़
23	श्री अमित शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़।
24	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।
25	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान
26	श्री ओमप्रकाश शर्मा	रिको, चित्तौड़गढ़।

- 2 सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने गवर्निंग काउन्सिल की गत बैठक दिनांक 08.09.2017 में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)

चित्तौड़गढ़

(i) सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य निर्माण विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में प्रो-रेटा चार्ज व क्यू.सी. चार्ज सम्मिलित किया गया है जिसकी छूट हेतु राज्य सरकार को पत्र दिनांक 17.10.2017 एवं 09.01.2018 से लिखा गया है लेकिन अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। खनि अभियन्ता ने बताया कि स्वीकृति जारी करते समय इस आशय की विशेष शर्त अंकित की जा रही है कि प्रो-रेटा चार्ज व क्यू.सी. चार्ज की राशि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार देय होगी।

(ii) डीएमएफटी सेल की स्थापना आदेश दिनांक 10.11.2017 से की जाकर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(iii) गवर्निंग काउन्सिल की गत बैठक दिनांक 08.09.2017 में सम्पूर्ण जिले को खनन प्रभावित मानते हुए गवर्निंग काउन्सिल द्वारा कुल राशि रु. 3619.89 लाख के कार्य अनुमोदित किये गये थे। डी.एम.एफ.टी. नियम 2016 के नियम 15(2) (i)(c) के अनुसार जिले में खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार करने का स्पष्ट प्रावधान होने के कारण नियम 15(2) (i)(c) में उल्लेखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायतवार एक प्रारूप तैयार कर सर्वे कराया गया। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले की 290 ग्राम पंचायतों में से 188 ग्राम पंचायतें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित पाई गई जिसकी सूची खनि अभियन्ता द्वारा काउन्सिल में रखी गई।

अध्यक्ष जिला प्रमुख महोदय एवं उपस्थित अन्य जन प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तैयार की गई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित ग्राम पंचायतों की सूची में कुछ ग्राम पंचायतों के नाम रह गये हैं जिनका पुनः विस्तृत सर्वे कराया जाना आवश्यक है। बैठक में 188 ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित अनुमोदित कर यह निर्देश दिये गये कि शेष ग्राम पंचायतों का पुनः सर्वे कर खनन प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्रों की संशोधित सूची तैयार कर उसके अनुरूप आगे की स्वीकृतियां जारी की जावे।

(iv) खनि अभियन्ता, ने अवगत कराया कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार खनन प्रभावित 188 ग्राम पंचायतों में गवर्निंग काउन्सिल द्वारा गत बैठक में अनुमोदित कार्यों में से 2798.37 लाख के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी की जा चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के राशि रु. 1192.50 लाख, सर्व शिक्षा अभियान के राशि रु. 420.24 लाख, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के राशि रु. 67.33 लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग के राशि रु. 604.70 लाख एवं जिला परिषद के राशि रु. 513.60 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

3 खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि डी.एम.एफ. अंशदान राशि के रूप में माह दिसम्बर-2017 तक कुल राशि रु. 12522.63 लाख प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से प्रशासनिक व अन्य व्यय अनुमानित राशि रु. 522.63 लाख को कम कर शेष राशि रु. 12000.00 लाख के कार्य किये जा सकते हैं जिनमें से अभी तक राशि रु. 2798.37 लाख के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा लगभग राशि रु. 100.00 लाख के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

4 खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि डी.एम.एफ.टी. मेनेजिंग कमेटी की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जाकर सभी सम्बन्धित विभागों से डी.एम.एफ.टी. नियमों में किये जा सकने वाले कार्यों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा सभी विभागों से किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधियों ने भी कुछ विभागों के कार्यों की सूची उपलब्ध कराई है जिसका विभागवार/विधानसभावार संकलित विवरण प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

सूचना का अधिकार
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
पिप्रीदुर्ग

सूचना का अधिका


उक्त संकलित विवरण के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहर नवोदय विद्यालय, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग (उ.प्रा.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिषद (कार्यक्रम समन्वयक, ई. जी.एस), वाटर शैड, जल संसाधन विभाग, वन विभाग (नि.प्रा.), रीको लि. चित्तौडगढ़ एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कुल राशि रु. 21402.425 लाख के कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग, के कुछ कार्यों की अनुमानित लागत प्राप्त नहीं हुई है। खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 20.12.2017 के द्वारा राजकोम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड द्वारा वाई-फाई कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत स्तर तक अटल सेवा केन्द्र व जिला मुख्यालय, ब्लॉक एवं नगरीय निकाय के 10-12 किमी. की परिधी में उपलब्ध कराने हेतु राशि रु. 1752.58 लाख का भुगतान राजकोम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड को भुगतान कराने हेतु प्राप्त हुआ है। इस संबंध में खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य का नियम 15(3) में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से राज्य सरकार से निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त करना उचित होगा।

खनि अभियन्ता ने यह भी अवगत कराया कि पत्र दिनांक 31.10.2017 एवं 09.01.2018 के द्वारा मरम्मत/जिर्णोद्वार/पुनरोद्वार अथवा अल्ट्रेशन/मोडिफिकेशन/अपग्रेडेशन के कार्य तथा चिकित्सा अधिकारियों व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्वार्टर (आवास) निर्माण, महिला स्नानघर निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में एल.ई. डी. टी.वी. लगाना, वाटर शैड सेल जिला परिषद द्वारा प्रस्तावित कृषि भूमि विकास व डी. एल.टी. के कार्य, डाईट संस्थान में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण एवं आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण के कार्य के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे गये हैं लेकिन अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदया ने यह निर्देश दिये कि प्राप्त सभी कार्यों की संकलित सूची को कार्य योजना मानकर डीएमएफटी नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार जो-जो कार्य किये जा सकते हैं उन कार्यों के बारे में सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट/टिप्पणी प्राप्त कर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमानुसार स्वीकृतियां जारी करने की कार्यवाही की जावे।

- 5 बैठक में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आगे भी इसी प्रकार सभी जनप्रतिनिधियों/विभागों से प्राप्त कार्यों के प्रस्तावों को संकलित कर उन पर मेनेजिंग कमेटी की बैठक में विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना तैयार की जावे जिसे गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में अनुमोदन कराने के उपरान्त डीएमएफटी नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यों की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे।
- 6 उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों ने जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं उन कार्यों के शीघ्र टेन्डर कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु कहा। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने सभी सम्बन्धित विभागों को टेन्डर की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 एवं प्रभारी अधिकारी (डी.एम.एफ.टी सेल)
 चित्तौडगढ़

सूचना का अधिका अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।


 जन सूचना अधिकारी
 (खनि अभियन्ता)
 चित्तौडगढ़

क्रमांक DMFT/Governing Council/2017-18/172-1202 दिनांक 26.02.2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्री श्रीचन्द्र कृपलानी माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर। (मा. विधायक विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा)
- 2 श्रीमान् जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट चित्तौडगढ़।
- 3 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़।
- 4 श्री अर्जुन लाल जीनगर, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कपासन।
- 5 श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चित्तौडगढ़।
- 6 श्री गोतम दक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी।
- 7 श्री सुरेश चन्द्र धाकड़, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बेंगू।
- 8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ़।
- 9 अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौडगढ़।
- 10 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रमारी अधिकारी डीएमएफटी सेल चित्तौडगढ़।
- 11 उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़।
- 12 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़।
- 13 अधीक्षण/अधिशापी अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग, चित्तौडगढ़।
- 14 कोषाधिकारी चित्तौडगढ़।
- 15 सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौडगढ़।
- 16 क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चन्देरिया।
- 17 अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौडगढ़।
- 18 अधीक्षण अभियन्ता/अधिशापी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौडगढ़।
- 19 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) चित्तौडगढ़।
- 20 प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम चित्तौडगढ़।
- 21 परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चित्तौडगढ़।
- 22 जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान चित्तौडगढ़।
- 23 उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौडगढ़।
- 24 अधिशापी अभियन्ता, नरगा जिला परिषद चित्तौडगढ़।
- 25 अधीक्षण अभियन्ता, पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटर शेड सेल जिला परिषद चित्तौडगढ़।
- 26 क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको लिमिटेड।
- 27 उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, चित्तौडगढ़।
- 28 सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेडा/चित्तौडगढ़।



सूचना
का
अधिकार

26/2/18

सदस्य सचिव डीएमएफटी
एवं खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौडगढ़

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़
जन प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित विभागों से विधानसभावार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण :-



सूचना
का
अधिकार

क्र.सं.	विभाग	विधानसभावार प्राप्त प्रस्तावों की राशि रु. (लाखों में)						
		निम्नाहेंडा	चित्तौड़गढ़	बेंगू	कपासन	बडीसादडी	सम्पूर्ण जिला	योग
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	310.03	659.76	932.76	797.56	523.26	0.00	3223.37
			10.00			10.00	0.00	20.00
2	सर्व शिक्षा अभियान	363.09	305.35	490.24	305.84	235.04	0.00	1699.56
				10.00				10.00
3	जवाहर नवोदय विद्यालय				एक कार्य लागत प्राप्त नहीं			
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	478.69	305.84	637.62	123.73	10.00	0.00	1555.88
5	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	720.63	1113.10	716.00	0.00	6.00	0.00	2555.73
6	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	16.26	100.56	95.96	20.12	48.58	0.00	281.48
7	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	37.18	76.20	0.00	0.00	68.025	0.00	181.41
8	प्रदूषण नियंत्रण मंडल	195.00	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	392.12
9	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.0	36.89	0.0	0.0	0.0	0.0	36.89
10	महिला एवं बाल विकास विभाग	63.87 दो कार्य की लागत प्राप्त नहीं	78.855 चार कार्य की लागत प्राप्त नहीं	133.17 दो कार्य की लागत प्राप्त नहीं	142.515 चारकार्यों की लागत प्राप्त नहीं	97.035 एक कार्य की लागत प्राप्त नहीं	जिले के 108 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की लागत प्राप्त नहीं	515.445
11	वन विभाग (उ.प्रा.)	164.00	415.00	320.00	187.00	200.00	0.00	1286.00
	योग	2348.75	3298.675	3335.75	1576.765	1197.945	0.00	11757.885

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2008 के तहत जारी प्रति ।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

विधानसभावार प्राप्त प्रस्तावों की राशि रु. (लाखों में)								
विभाग	निम्बाहेडा	चित्तौड़गढ़	बैंगू	कपासन	बडीसादडी	सम्पूर्ण जिला	योग	
12	सार्वजनिक निर्माण विभाग	371.89	2204.00	1227.69	0.00	128.00	0.00	3931.58
			एक कार्य की समत प्राप्त नहीं					
13	जिला परिषद (कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस)	605.77	104.14	0.00	611.73	133.5	0.00	1455.14
		208.00	57.00	193.00	296.00	341.00	0.00	1095.00
14	वाटर शेड	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
15	जल संसाधन विभाग	0.00	179.00	0.00	0.00	46.00	0.00	225.00
16	वन विभाग (नि.प्रा.)							
			एक कार्य न्यायपाल से राशि प्राप्त एक सड़क निर्माण समत प्राप्त					
17	सीको लि. चित्तौड़गढ़	465.52	264.56	0.00	251.16	0.00	0.00	981.24
18	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1752.58	1752.58
	योग	1651.18	2808.7	1624.69	1158.89	648.5	1752.58	9644.54
	महायोग	3999.93	6107.38	4960.44	2735.66	1846.45	1752.58	21402.425

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष / Phone 01472-251870 Email:- dmft.chittorgarh@gmail.com



सूचना का अधिकार

बैठक कार्यवाही विवरण

- 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 20.06.2018 को सायं 4.00 बजे जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.स.	नाम	पद
1	श्रीमति लीला जाट	जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़ (अध्यक्ष)
2	श्री इन्द्रजीत सिंह	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (उपाध्यक्ष)
3	श्री सी.पी. जोशी	माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़
4	श्री अर्जुन लाल जीनगर	माननीय विधायक कपासन
5	श्री सुरेश धाकड़	माननीय विधायक बेगू
6	श्री गौतम दक	माननीय विधायक बडीसादडी
7	श्री अंकित कुमार सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़
8	श्री एस.पी. सिंह	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़
9	श्री नारायण सिंह चारण	अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
10	श्री दीपेन्द्र सिंह राठोड़	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (डीएमएफटी सेल) जिला परिषद चित्तौड़गढ़
11	श्री जिनेश हुमड़	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ (सदस्य सचिव डीएमएफटी)
12	श्री सन्दीप चारण	कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़
13	श्री लखन लाल गुप्ता	अधिकांश अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
14	श्री सोमेश मेहरा	अधिकांश अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
15	श्री राकेश गुप्ता	अधिकांश अभियन्ता, (ईजीएस) जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
16	श्री दिनेश कुमार डांड	सहायक अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़।
17	डा. इन्द्रजीत सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
18	श्री के.बी. पालीवाल	प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चित्तौड़गढ़
19	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़
20	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़।
21	श्री एस.सी. वर्मा	TA to SE PHED Circle Chittorgarh
22	श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़
23	श्री अर्जुन लाल खटीक	प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) चित्तौड़गढ़
24	श्री भगवान सहाय शर्मा	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
25	श्री बट्टी लाल जाट	सहायक अभियन्ता, रमसा।
26	श्री अमित शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान आजिविका एवं कौशल विकास निगम चित्तौड़गढ़।
27	डा. जयदीप भार्गव	अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़।
28	श्री करण सिंह यादव	श्रम निरीक्षक, जिला श्रम कल्याण अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
29	श्री आरीफ अली	कनिष्ठ सहायक, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़
30	श्री अशोक नवलखा	प्रतिनिधि माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, एवं विधायक निम्बाहेडा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के जारी प्रति।

जन सूचना अधि
(खनि अभियन्ता
चित्तौड़गढ़

- 2 सदस्य सचिव खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने संक्षिप्त में पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियम प्राप्त अंशदान राशि तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पूर्व में जारी स्वीकृतियों की क्रियान्विति/प्रगति के बारे में अवगत कराया एवं गवर्निंग काउन्सिल के समक्ष निम्न बिन्दु रखे गये :-

- (i) नवीन प्राप्त प्रस्ताव :- सदस्य सचिव खनि अभियन्ता ने अवगत कराया कि गवर्निंग काउन्सिल की पूर्व बैठक दिनांक 19.01.2018 के बाद निम्नानुसार विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	कार्यों की राशि (लाखों में)
01	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान	527	3525.89
02	सर्व शिक्षा अभियान	1	9.00
03	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,	9	431.13
04	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	500	155.00
05	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	1	121.04
06	वन विभाग	188	1426.85
07	पशुपालन विभाग	2	107.40
	योग उच्च प्राथमिकता	1228	5776.31
08	सार्वजनिक निर्माण विभाग	4	278.71
09	खनिज विभाग	2	285.00
10	जिला परिषद	114	713.72
	योग अन्य प्राथमिकता	120	1277.43
	महायोग (उच्च प्राथमिकता + अन्य प्राथमिकता)	1348	7053.74

उक्तानुसार प्राप्त नवीन प्रस्तावों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसाओं का विवरण परिशिष्ट-बी पर संलग्न है। उपरोक्त समस्त कार्यों को सर्वसम्मति से कार्ययोजना में सम्मिलित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

- (ii) सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं में 23 विद्यालयों में प्रयोगशाला निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु राशि रु. 532.40 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिनका कार्योत्तर अनुमोदन (Ex-facto) गवर्निंग काउन्सिल से प्राप्त किया जाना है। इस पर माननीय विधायक बेंगू ने बताया कि जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय में कम से कम 30 छात्र/छात्राएं हैं ऐसे विद्यालयों में ही प्रयोगशाला निर्माण की स्वीकृति जारी की जानी चाहिए इस पर अतिरिक्त परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को ऐसे विद्यालयों में छात्रों की संख्या के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तथा तदनुसार नियमानुसार स्वीकृतियां जारी करने पर सभी ने सर्व सहमति जताई।
- (iii) वन विभाग को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के किये गये कार्यों के रख रखाव हेतु जारी की जाने वाली राशि के लिये गवर्निंग काउन्सिल में अनुमोदन प्राप्त किया जाना है इस पर सर्व सहमति से उपरोक्त कार्यों को कार्य योजना का भाग बनाये जाने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्त कार्यों में से डीएमएफटी नियम 2016 के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों

सूचना का अधिकार अधिनियम 2017
जारी प्रति।

जन सूचना प्रमाणित
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

नियमानुसार किये जा सकने वाले कार्यों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

- (iv) राजकोम्य इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा के जिले को वाई फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है।
- (v) सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.07.2016 की पालना में रिजनल माइनिंग प्लान, रिजनल EMP, माईन प्लान एवं EMP आदि तैयार कराने हेतु डीएमएफटी मद से राशि रु. 1.5 करोड़ व्यय करने का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त कार्य के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा विपरित निर्णय किये जाने की स्थिति में खनन कार्य कभी भी बन्द हो सकता है। इस क्रम में भारत सरकार से अधिकृत संस्था PDCOR के माध्यम से उपरोक्त कार्य करवाया जाना है। इस पर सर्व सहमति से अनुमोदन करते हुए उपरोक्त कार्य को कार्ययोजना का भाग बनाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
- (vi) सदस्य सचिव ने बताया कि डीएमएफटी सेल में वर्तमान में दो मेन विथ मशीन की सेवाएं ली जा रही हैं तथा इससे सम्बन्धित कार्यों के नियमित/सुचारु रूप से संचालन हेतु 2 मंत्रालयिक स्टाफ, 2 मेनविथ मशीन एवं 2 सहायक कर्मचारी की ओर आवश्यकता है जिसकी नियुक्ति हेतु अनुमोदन गवर्निंग काउन्सिल से प्राप्त किया जाना है इस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये एवं सर्व सहमति से उपरोक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- (vii) सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि रमसा द्वारा जिले के 187 विद्यालयों में आई.सी.टी लेब की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत राशि डीएमएफटी फण्ड से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए उपरोक्त कार्य को कार्य योजना में सम्मिलित करने का अनुमोदन प्रदान किया।
- (viii) सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 19.01.2018 में अनुमोदित कार्य सुखवाड़ा से पंचदेवला सडक निर्माण कार्य की लम्बाई एवं लागत में वृद्धि होने से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इस पर उपस्थित समस्त ट्रस्टियों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार स्वीकृति जारी करने हेतु कहा गया।
- (ix) माननीय विधायक बेंगू एवं कपासन ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (रमसा) को जारी वित्तीय स्वीकृतियों की क्रियान्विति/प्रगति के संबंध में पूछे जाने पर रमसा के अधिकारी ने बताया कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत बड़े टेन्डर जयपुर स्तर से किये जाते हैं जिसमें काफी समय लग जाता है। इस पर माननीय विधायक बेंगू एवं कपासन ने बताया कि डीएमएफटी एक स्थानीय ट्रस्ट/संस्था है इसलिए डीएमएफटी से स्वीकृत सभी कार्यों के टेन्डर जिला स्तर पर ही जारी किये जाने चाहिए जिससे अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। इस पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानीय स्तर पर ही किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश प्रदान किये।
- (x) बैठक में गवर्निंग काउन्सिल के सभी सदस्यों द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जिले को खनन प्रभावित मानते हुए स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में निर्णय लिया गया तथा एक निश्चित गाईड लाईन (S.O.P) शासन स्तर से जारी कराने हेतु पत्र लिखे जाने बाबत सचिव डीएमएफटी को निर्देशित किया गया।


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति।

जन सूचना अधि =
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़


सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि पूर्व में जारी स्वीकृतियों के क्रियान्वयन/प्रगति की रिपोर्ट सभी विभागों से प्राप्त नहीं हो रही है इस पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विभागों को शीघ्र प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भिजाने के निर्देश दिये गये।

सूचना
का
अधिकार

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशांषाओं की संकलित सूची तैयार की जाकर उसे कार्य योजना मानते हुए डीएमएफटी नियमावली 2016 के प्रावधानों के तहत जो कार्य किये जा सकते हैं उनके बारे में सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट/टिप्पणी प्राप्त कर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमानुसार स्वीकृतियां जारी करने की कार्यवाही मैनेजमेंट कमेटी द्वारा की जावे। अन्त में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थिति सभी जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।


सदस्य सचिव (डी.एम.एफ.टी.)
एवं खनि अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।


जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

क्रमांक DMFT/Governing Council/2018/2589-2628 Dt. 17.07.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान् जिला प्रमुख (न्यासी) एवं अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट चित्तौड़गढ़।
- 2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (न्यासी) चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री श्रीचन्द्र कृपलानी माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर। (न्यासी) (मा. विधायक विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा)
- 4 श्री सी.पी. जोशी, माननीय सांसद (न्यासी), संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़।
- 5 श्री अर्जुन लाल जीनगर (न्यासी) माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कपासन।
- 6 श्री चन्द्रमान सिंह आक्या (न्यासी) माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री गोतम दक (न्यासी) माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी।
- 8 श्री सुरेश चन्द्र धाकड (न्यासी) माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बेंगू।
- 9 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़।
- 10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (न्यासी) जिला परिषद, चित्तौड़गढ़।
- 11 उपवन संरक्षक (न्यासी) चित्तौड़गढ़।
- 12 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रमारी अधिकारी डी.एम.एफ.टी सेल जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
13. कोषाधिकारी (न्यासी) चित्तौड़गढ़।
14. अधिशाषी अभियन्ता (न्यासी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (न्यासी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चित्तौड़गढ़।
16. क्षेत्रीय अधिकारी (न्यासी) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़।
17. सहायक निदेशक (न्यासी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
18. उप निदेशक (न्यासी) कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़।
19. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (न्यासी) चित्तौड़गढ़।
20. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (न्यासी) चित्तौड़गढ़।
21. अधीक्षण अभियन्ता (न्यासी) जल संसाधन विभाग, भीलवाडा/चित्तौड़गढ़।
22. अधीक्षण अभियन्ता (न्यासी) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
23. जिला श्रम कल्याण अधिकारी (न्यासी) श्रम विभाग, चित्तौड़गढ़।
24. उप निदेशक (न्यासी) समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चित्तौड़गढ़।
25. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़।
26. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
27. प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़।
28. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़।
29. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़।
30. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, चित्तौड़गढ़।
31. अधीक्षण अभियन्ता, पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सेल जिला परिषद, चित्तौड़गढ़।
32. अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
33. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको लिमिटेड, चित्तौड़गढ़।
34. सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा/चित्तौड़गढ़।
35. अतिरिक्त निजी सचिव, श्रीमान् जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
36. निजी सहायक, जिला प्रमुख, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़।
37. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़।



सदस्य सचिव (डी.एम.एफ.टी)
एवं खनि अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़



बैठक कार्यवाही विवरण

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 25.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार चित्तौड़गढ़ में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यगण/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सदस्य सचिव एवं खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ ने गवर्निंग काउन्सिल के अध्यक्ष श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक चित्तौड़गढ़, कपासन, बडीसादडी तथा पूर्व विधायकगण एवं डीएमएफटी में मनोनीत सदस्यों एवं उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया और बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी -

- सर्व प्रथम गत गवर्निंग काउन्सिल की बैठक के पश्चात् सर्कुलेशन प्रस्ताव सं. 01/2021-22 के माध्यम से दी गई स्वीकृतियों का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
- माननीय विधायक चित्तौड़गढ़ ने अवगत कराया कि बैठक की सूचना 10 दिवस पूर्व प्राप्त होने की सुनिश्चितता की जावे, जिसके क्रम में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय ने सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि बैठक की सूचना 10 दिवस पूर्व एजेण्डे के साथ सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे।
- सदस्य सचिव द्वारा डीएमएफटी की प्रारम्भिक जानकारी प्रस्तुत कर अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.05.2016 से डीएमएफटी नियम 2016 अधिसूचित किये गये हैं तथा अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 से चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन किया गया।
- डीएमएफटी गवर्निंग काउन्सिल के सदस्यों को डीएमएफटी मद से किस प्रकार के कार्य करवाये जा सकते हैं एवं इनकी क्या उच्च/अन्य प्राथमिकताएं हैं इसके संबंध में अवगत कराया गया।
- सदस्य सचिव द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृतियों एवं कोविड-19 हेतु रक्षित राशि के बारे में अवगत कराते हुए डीएमएफटी मद में उपलब्ध बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया।
- सांसद महोदय द्वारा वर्ष 2018 में दिये गये प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय ने अवगत कराया कि सभी जन प्रतिनिधियों से पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों एवं नवीन प्रस्तावों पर मैनेजिंग कमेटी द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर उपलब्ध बजट के अनुसार कार्य की प्राथमिकता के आधार पर आगामी बैठको में चर्चा की जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से माननीय सांसद महोदय द्वारा पूछा गया कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु जिले की क्या कार्य योजना है जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि इस संबंध में कार्य योजना तैयार

कर राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। कार्य योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी भी दी गयी।

सूचना
का
अधिकार

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपकरणों की सूची के संबंध में जानकारी देने पर माननीय सांसद महोदय पूछा गया कि वर्तमान में जो वेंटीलेटर उपलब्ध है वे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्या बच्चों के लिए अलग प्रकार के वेंटीलेटर लिये गये हैं जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि मैनेजिंग कमेटी की बैठक में प्राप्त सभी प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है एवं महिला एवं बाल चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांगे गये उपकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।
- माननीय सांसद महोदय द्वारा उपकरणों की सूची के संबंध में सुझाव दिया गया कि छोटे-छोटे उपकरण के स्थान पर बड़े एवं उपयोगी उपकरण की मांग डीएमएफटी से की जावे जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि उक्त प्रस्तावों में इसका ध्यान रखा गया है।
- माननीय सांसद महोदय द्वारा इस क्रम में लिविड ऑक्सीजन प्लांट लगाने एवं प्रत्येक रोगी तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंच सके इसके लिए ऑक्सीजन ऑउटलेट पॉइंट लगाने का भी सुझाव दिया गया।
- मनोनीत न्यासी श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाडावत द्वारा जिले में एम्बुलेंस सेवा को अपडेट करने एवं टेक्निशियन, सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन आदि के संबंध में जिले का प्लान पूछा गया एवं जिले में डिजिटल कलर एक्सरे मशीन के साथ इन्हे चलाने वाले कार्मिक (मेन विथ मशीन) के नियोजन का प्रस्ताव रखा।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले की 24 सीएचसी पर जहां एक्सरे मशीन उपलब्ध है किन्तु डिजिटल नहीं है वहां पर एक्सरे मशीन को अपडेशन के माध्यम से डिजिटल किये जाने एवं जहां पर एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं है ओर अपडेशन भी नहीं किया जा सकता है उक्त स्थानों पर नवीन डिजिटल एक्सरे मशीन एवं डीजी सेट भी लगवाये जाने के संबंध में चर्चा की गई जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही इनके संचालन हेतु आवश्यक कार्मिक (मेन विथ मशीन) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्मिकों के नियोजन के संबंध में पृथक से कार्ययोजना तैयार कर पत्रावली प्रस्तुत करावें।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला चिकित्सालय में नगर परिषद/नगर विकास न्यास द्वारा स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के सुचारू रूप से संचालन हेतु 100 केवी का डीजी सेट लगाने हेतु चर्चा की गई जिसका सर्व सम्मति से सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।
- मनोनीत न्यासी श्री प्रकाश जी चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड-19 से पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस होने के कारण उनकी दवाईयों का खर्चा लगभग 60-70 लाख रुपये आता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं एवं दवाईयों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, दवाईयों का भुगतान डीएमएफटी मद से किये जाने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि डीएमएफटी नियमों में इस प्रकार के भुगतान करने का प्रावधान है अथवा नहीं है, इसके संबंध में परीक्षण किया जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)

चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

- मनोनीत न्यासी श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाडावत ने जिले के सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की वेडशीट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में अन्य स्त्रौत से उक्त कार्य करवाये जाने हेतु कहा गया।
- मनोनीत न्यासी श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाडावत द्वारा जिले में एम्बुलेंस की उपलब्धता पर चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले की सभी 24 सीएचसी पर नवीन एम्बुलेंस की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए एम्बुलेंस सेवा (विथ मेन) उपलब्ध करायी जाने की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही जिला स्तर पर किटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जावे। उक्त प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर नवीन एम्बुलेंस (विथ मेन) लगायी जावे। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पृथक से पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- माननीय सांसद महोदय एवं मनोनीत न्यासी श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाडावत द्वारा जिला मुख्यालय पर सोनोग्राफी मशीन लगवाने का प्रस्ताव रखा जिस पर चर्चा उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा जिला मुख्यालय एवं आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों पर सोनोग्राफी मशीन क्रय (मेन विथ मशीन) किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।
- माननीय विधायक, बडीसादडी द्वारा उनके क्षेत्र में सोनोग्राफी मशीन लगवाने का प्रस्ताव दिया गया जिसका अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर की रोकथाम एवं अन्य विमारियों हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची (परिशिष्ट-ब) एवं अनुमानित दरों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुत प्रस्तावों की अनुमानित लागत लगभग 10.33 करोड़ रुपये है। उक्त सभी भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरणों के क्रय करने के प्रस्तावों का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 20 कोविड स्वास्थ्य सलाहकार के लिए प्रतिमाह राशि रु. 7,86,000/- एवं 916 स्वास्थ्य सहायक के लिए प्रतिमाह राशि रु. 72,28,500/- इस प्रकार राशि रु. 80,14,500/- (प्रतिमाह की दर से) दो माह तक का मानदेय राशि रु. 1,60,29,000/- का भुगतान डीएमएफटी गद से किये जाने का प्रस्ताव रखा जिसका अनुमोदन सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से किया गया।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाहेडा द्वारा अलग-अलग चिकित्सीय उपकरणों की प्रस्तुत सूचियां (परिशिष्ट-स) एवं अनुमानित दरों का प्रस्तुतीकरण भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया। साथ ही जिला मुख्यालय पर पुराने चिकित्सालय परिसर के जीर्णोद्धार एवं पुनःनिर्माण का तकमीना भी प्रस्तुत किया गया। इन सभी की अनुमानित लागत क्रमशः राशि रु. 6.62 करोड़ (चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय) एवं राशि रु. 0.48 करोड़ (निम्बाहेडा उप जिला चिकित्सालय) है। बैठक में सर्व सम्मति से इन उपकरणों को क्रय करने एवं निर्माण कार्य करवाये जाने का अनुमोदन किया गया।
- कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम हेतु भविष्य में आवश्यक उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की अति आवश्यकता होने की दशा में एवं जनहित में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपापन की कार्यवाही की जाने का भी सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

सूचना
का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जारी प्रति।

Scanned with CamScanner

जन सूचना अ
(यदि अमि
चित्तौड़

➤ राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) की बैठक दिनांक 12.01.2021 से अनुमोदित माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2020-21 में प्रस्तावित निम्बाहेडा केली कनेरा बरसी आम्बा रोड (लम्बाई 35.00 किमी.) हेतु राशि रु. 37.50 करोड का अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

➤ जिले में ठोस कचरा निस्तारण हेतु नगर परिषद चित्तौडगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव राशि रु. 1.75 करोड, नगर पालिका निम्बाहेडा में राशि रु. 1.00 करोड, नगर पालिका कपासन में राशि रु. 0.07 करोड एवं नगर पालिका बडीसादडी में राशि रु. 0.08 करोड के प्रस्तावों का अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान किया गया। नगर पालिका बेंगू का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

➤ सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि गत मैनेजिंग कमेटी की बैठक दिनांक 02.08.2021 के विन्दु सं. 1 द्वारा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा मांग की गई थी कि प्रथम किश्त 50 प्रतिशत के पश्चात शीरी प्रस्तुत करने पर बकाया मांग राशि के हस्तान्तरण में तकनीकी कठिनाई आ रही है। अतः बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि नवीन स्वीकृत कार्य हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

- (1) कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त कार्य के प्रारम्भ होने की पुष्टि होने पर स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- (2) कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बकाया मांग राशि का हस्तान्तरण अनुमत होगा।
- (3) कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत राशि की 30 प्रतिशत राशि हस्तान्तरण हेतु अनुमत होगी।
- (4) जिन कार्य पर 80 प्रतिशत राशि हस्तान्तरण हो चुकी है उनकी बकाया मांग राशि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर हस्तान्तरण हेतु अनुमत की जावेगी।
- (5) जिन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त राशि से ही मौके पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं मांग शेष नहीं रहती है उनको भी शून्य राशि का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र विधिवत प्रस्तुत कर कार्य पेटे दी गई प्रथम व द्वितीय किश्त का समायोजन करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में उक्त कार्यकारी अभिकरण को उनको स्वीकृत अन्य कार्यों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण स्वयं की होगी।

➤ सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि डीएमएफटी सेल के सुचारु संचालन हेतु निम्न कार्मिकों की आवश्यकता है :-

क्र.स.	पदनाम	अनुमानित संख्या	दर	अनुमानित मासिक मानदेय
1	अधिशाधी अभियन्ता	1	21900	21900
2	सहायक अभियन्ता	1	19500	19500
3	लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी	1	19500	19500
4	कनिष्ठ लिपिक	2	9100	18200
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर (मेन विथ मशीन)	5	15000	75000
6	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	2	6400	12800
	योग			166900
	अनुमानित वार्षिक व्यय			2002800

जिसके क्रम में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को दिशा निर्देश दिये कि उक्त कार्मिकों का नियमानुसार नियोजन करें एवं इसके संबंध में अन्य किसी प्रकार के मानव संसाधन/सामग्री की आवश्यकता होने पर उसके नियोजन/क्रय करने का अनुमोदन भी सर्व सम्मति से इस गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में प्रदान करते हुए अध्यक्ष महोदय को आवश्यकतानुसार नियोजन करने हेतु अधिकृत किया गया।

सूचना
का
अधिकार

- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 103 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लेब की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिसमें 25 प्रतिशत राशि डीएमएफटी मद से एवं 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके क्रम में सदन द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 103 विद्यालयों हेतु (75750 X 103 = 7802250) राशि डीएमएफटी मद से जारी करने की का अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित करने एवं मानव संसाधन के नियोजन करने के संबंध में चर्चा करने पर आगामी बैठक में रखे जाने का विनिश्चय किया गया।
- माननीय विधायक कपासन द्वारा सम्पूर्ण जिले को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित घोषित करने का सुझाव दिया गया जिसके क्रम माननीय विधायक चित्तौड़गढ़ द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया गया जो कि जिले में शेष रही ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित होने अथवा नहीं होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तदनुसार प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियमों के परिपेक्ष्य में विचार कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
- माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदयों द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्यों के भुगतान के संबंध में पूछा गया जिसके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सभी कार्यों का भुगतान किया जा रहा है एवं ऐसे विवादित कार्य जिनमें प्रथम भुगतान, आचार संहिता में प्रारम्भ हुए कार्य नाम व स्वीकृति में किसी प्रकार के संशोधन के कारण लिपिकिय त्रुटि के कारण एवं अन्य किसी कारण के संबंध में आगामी विधानसभा सत्र समाप्त होने पर अलग से गवर्निंग काउन्सिल की बैठक इन विवादित कार्यों के लिए कार्यवार समीक्षा हेतु आयोजित की जायेगी एवं भुगतान के संबंध में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया एवं बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव (डीएमएफटी)
एवं खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़

क्रमांक सीडीएमएफटी/गवर्निंग काउन्सिल बैठक/2396-2439 दिनांक 08/09.2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान् उदय लाल जी आंजना, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर (न्यासी) (माननीय विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेडा)।
- 2 श्रीमान् सी.पी. जोशी, माननीय सांसद (न्यासी), संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

3. श्रीमान् चन्द्रभान सिंह "आक्या" माननीय विधायक (न्यासी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, निवासी प्लाट नम्बर-9 कृष्णा वाटिका, मधुवन, चित्तौड़गढ़ ।
4. श्रीमान् राजेन्द्र सिंह विधुडी, माननीय विधायक (न्यासी), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेंगू निवासी हाउस न. 313-K आदर्श नगर, पेट्रोल पम्प के पिछे, वार्ड न. 1 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. श्रीमान् अर्जुन लाल जीनगर, माननीय विधायक (न्यासी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कपासन, निवासी-मुकाम पोस्ट राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. श्रीमान् ललित कुमार ओरस्ताल, माननीय विधायक (न्यासी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बडीसादडी निवासी-305 महाजन बस्ती मंगलवाड तहसील झूंगला, जिला -चित्तौड़गढ़ ।
7. श्रीमान् सुरेन्द्र सिंह जाडावत, मनोनित ट्रस्टी, विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ निवासी तेजाजी चौक, प्रताप नगर चित्तौड़गढ़ ।
8. श्रीमान् प्रकाश चौधरी मनोनित ट्रस्टी, विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी निवासी आदर्श कॉलोनी बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ ।
9. श्रीमान् भैरु लाल चौधरी, मनोनित ट्रस्टी, विधानसभा क्षेत्र कपासन निवासी चौधरी बोरवेल हाईवे चौराहा कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।
10. श्रीमान् पुरषोत्तम झांवर, मनोनित ट्रस्टी, विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा निवासी बाई पास रोड, बस स्टेण्ड कनेरा तह. निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।
11. श्रीमान् धर्मेन्द्र तिल्लानी, मनोनित ट्रस्टी, विधानसभा क्षेत्र बेंगू निवासी 154-ए नया बाजार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ । श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी (न्यासी) जिला परिषद चित्तौड़गढ़ ।
12. श्रीमान् उपवन संरक्षक (न्यासी) चित्तौड़गढ़ ।
13. श्रीमान् कोषाधिकारी (न्यासी) चित्तौड़गढ़ ।
14. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (न्यासी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
15. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता (न्यासी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चित्तौड़गढ़ ।
16. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी (न्यासी) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ ।
17. श्रीमान् सहायक निदेशक (न्यासी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
18. श्रीमान् उप निदेशक (न्यासी) कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
19. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (न्यासी) चित्तौड़गढ़ ।
20. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (न्यासी) चित्तौड़गढ़ ।
21. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (न्यासी) जल संसाधन विभाग, भीलवाड़ा / चित्तौड़गढ़
22. श्रीमान् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (Representative of tribal Area dovlopment Department) (न्यासी)
23. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (न्यासी) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
24. श्रीमान् जिला श्रम कल्याण अधिकारी (न्यासी) श्रम विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
25. श्रीमान् उप निदेशक (न्यासी) एकीकृत बाल विकास परियोजना, चित्तौड़गढ़ ।
26. श्रीमान् अशोक समदानी (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री गोर्वधन लाल समदानी निवासी 226-227, शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ ।
27. श्रीमान् अमानत अली (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री बरकत अली निवासी बलाइयों की कुई चित्तौड़गढ़ ।
28. श्रीमान् मांगी लाल गुर्जर (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर निवासी दुगार तह. बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ ।
29. श्रीमान् कैलाश दुबे (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री वृद्धिचन्द जी निवासी बिनाता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।
30. श्रीमान् विशेष कुमार मीणा (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री विष्णु कुमार मीणा निवासी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ।
31. श्रीमान् भैरुदास वैष्णव (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री गोपीदास वैष्णव मु.पो. नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
32. श्रीमान् उदय लाल रेगर (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री मांगी लाल रेगर निवासी सुरजना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
33. श्रीमति अशोक देवी (मनोनित सदस्य) पत्नी श्री वृद्धिचन्द कुमावत निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी प्रति ।

जन सूचना अधिकारी


Scanned with CamScanner

चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार

34. श्रीमान् किशन लाल जोशी (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री शंकर लाल मु.पो. सावा तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
35. श्रीमान् निर्मल कुमार (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री राम लाल रेगर निवासी नंगावली तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़।
36. श्रीमान् गोतम भडकत्या (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री चुन्नी लाल घेरावती संस्थान चित्तौडगढ़।
37. श्रीमान् वी.पी. सिंह (मनोनित सदस्य) पुत्र श्री भंवर सिंह नरघासी तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ़।
38. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौडगढ़।
39. श्रीमान् आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ़।
40. श्रीमान् अधिशापी अभियन्ता, नगर पालिका निम्वाहेडा/कपारान/बडीसादडी/बेंगू।
41. श्रीमान् अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, चित्तौडगढ़।

सूचना
का
अधिकार


सदस्य सचिव डीएमएफटी
एवं खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।


जन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौडगढ़

क्र. सं.	नाम	धारित पद/विभाग
1	श्री तारा चन्द मीणा	जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़
2	श्री सी.पी. जोशी	माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़
3	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़
4	श्री अर्जुन लाल जीनगर	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र कपासन
5	श्री ललित कुमार ओस्तवाल	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी
6	श्री सुरेन्द्र सिंह जाडावत	मनोनीत न्यासी, विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़
7	श्री प्रकाश चौधरी	मनोनीत न्यासी, विधानसभा क्षेत्र बडीसादडी।
8	श्री पुरषोत्तम झंवर	मनोनीत न्यासी, विधानसभा क्षेत्र निम्वाहेडा
9	श्री सुगना राम जाट	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़।
10	श्री भागीरथ सिंह लखावत	कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
11	डा. श्री रामकेश गुर्जर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़।
12	श्री चैतन्य पंवार	अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चित्तौड़गढ़।
13	श्री पूरणमल सिंगाडिया	खनि अभियन्ता, एवं सदस्य सचिव डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़
14	श्री पी.डी वैरोगी	J.E.E. (प्रतिनिधी क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़।
15	श्री ज्योति प्रकाश अरोड़ा	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
16	श्री दिनेश कुमार जागा	उप निदेशक कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़।
17	श्री अनिल पोरवाल	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)
18	श्री शान्ति लाल सुथार	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
19	श्री राजकुमार शर्मा (प्रतिनिधी)	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
20	श्री सुनीत कुमार गुप्ता (प्रतिनिधी)	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निम्वाहेडा
21	श्री कुलदीप सिंह राठोड़	प्रतिनिधी उप श्रम आयुक्त चित्तौड़गढ़
22	श्रीमति राजकुमारी खोरवाल	उप निदेशक बाल विकास विभाग
23	श्री अमानत अली	जिले में कार्यरत माईन ऑनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष, (मनोनीत न्यासी)
24	श्री कैलाश दुवे	जिले में कार्यरत माईन ऑनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष, (मनोनीत न्यासी)
25	श्री विशेष कुमार मीणा	जिले में कार्यरत माईन ऑनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष (मनोनीत न्यासी)
26	श्री भैरुदास वैष्णव	खनन संकियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि (मनोनीत न्यासी)
27	श्री उदय लाल रेगर	खनन संकियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि (मनोनीत न्यासी)
28	श्रीमति अशोक देवी कुमावत	खनन संकियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि (मनोनीत न्यासी)
29	श्री किशन लाल जोशी	खनन कर्मकारों के प्रतिनिधी (मनोनीत न्यासी)
30	श्री निर्मल कुमार	खनन कर्मकारों के प्रतिनिधी (मनोनीत न्यासी)
31	श्री गौतम भडकत्या चेरावती संस्थान	खनन क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ. (मनोनीत न्यासी)
32	श्री वी.पी. सिंह नरधारी	जिले में कार्य कर रहे तकनिकी खनन व्यक्ति (मनोनीत न्यासी)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
जारी प्रति।

सदस्य सचिव (डी.एम.एफ.टी.)
एवं सचिव अभियन्ता, चित्तौड़गढ़

वन सूचना अधिकारी
(खनि अभियन्ता)
चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner